रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 1972/कार्तिक 3, 1894

No. 236] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 1972/KARTIKA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. 1971

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 25th October 1972*

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of cotton handloom products (other than fabrics) to U.S.A. during October, 1972—January, 1973.*

**No. 27-ETC(PN)/72.**—Reference Public Notice No PN(USA LICENSING) 2 of 1971, dated the 1st October, 1971, on the above subject.

2. It has beeen decided that export of cotton handloom made-ups (including readymade garments) to USA will be permitted during the period October, 1972—January, 1973, against allocations to be made to exporters by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, in respect of cotton handloom readymade garments, and by the Handloom Export Promotion Council, Madras, in respect of other types of cotton handloom made-ups. Allocations will be made only to such registered exporters as have commitments for exports of cotton handloom made-ups to USA during the period mentioned above i.e., October, 1972—January, 1973. There will be separate quotas for established shippers, i.e., those who exported cotton handloom readymade garments, or other cotton handloom made-ups to USA as the case may be during the year October, 1970—September, 1971 or October

1971—September, 1972, as well as newcommers. As the quotas are very limited allocations will be made against contracts backed by letters of credit, etc., or such other terms of payment as may be approved by the Council concerned, with the approval of the Textile Commissioner. If found necessary allocations may be made in order of the value per sq. metre of the goods to be exported, and only to such exporters as may be covered within the limits of the quoteas. For this purpose, conversion of the various made-ups in terms of sq metres wil be made in accordance with the provisions of the Cotton Textiles Agreement with U.S.A. The exporters to whom allocations are made by the Handloom Export Promotion Council, Madras, or the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, as the case may be, will have to give suitable undertakings for exoprt including werever necessary, bank guarantees.

3 Registered exporters and newcomers, who have in hand contracts for cotton handloom readymade garments and other cotton handloom made-ups for export during October, 1972—January, 1973, are advised to apply to the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, and the Handloom Export Promotion Council, Madras, respectively, for allocations alongwith necessary documents. Applications should reach them by the 15th November, 1972, at the latest.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### सार्वजनिक सूचना

### निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली 25 अक्तूबर, 1972

विषय : अक्तूबर, 1972—जनवरी, 1973 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को सूती हथकरघा उत्पाद (वस्त्रों से भिन्न) की लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना।

**संख्या 27-ई०टी०सी०(पी०एन०)/72**—उपर्युक्त विषय पर, सार्वजनिक सूचना संख्या पी०एन०(संयुक्त राज्य अमरीका लाइसेंसिंग) 2, 1971, दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 के संदर्भ में।

2 यह निश्चय किया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका को अक्तूबर, 1972—जनवरी, 1973 अवधि के दौरान सूती हथकरघा तैयार माल (बने बनाये पहनावों सहित) के निर्यात की अनुमति सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा सूती हथकरघा बने बनाये पहनावों के सम्बन्ध में और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास द्वारा अन्य प्रकार के सूती हथकरघा तैयार माल के सम्बन्ध में निर्यातकों को किये गये आवंटन के मद्दे दी जायेगी। आवंटन केवल उन्हीं पंजीकृत निर्यातकों को किया जायेगा जो उपर्युक्त अवधि अर्थात अक्तूबर, 1972—जनवरी, 1973 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को सूती हथकरघा तैयार माल के निर्यात के लिए वचन देते है। संस्थापित पोत वणिकों के लिए अर्थात वे जिन्होंने वर्ष अक्तूबर, 1970—सितम्बर, 1971 या अक्तूबर 1971—सितम्बर, 1972 के दौरान सूती हथकरघा के बने बनाये पहनावों या अन्य सूती हथकरघा तैयार माल जैसा भी मामला हो, का संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किया है उनका और साथ ही साथ नये आगन्तुकों के लिए भी अलग कोटा होगा। चूंकि कोटा बहुत सीमित है इसलिए साखपत्र आदि द्वारा या भुगतान की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा जो वस्त्रायुक्त के अनुमोदन के साथ सम्बद्ध परिषद द्वारा अनुमोदित की जाए, समर्थित संविदाओं के मद्दे आवंटन किया जायेगा।

यदि आवश्यक समझा गया तो निर्यात किये जाने वाले माल के प्रति वर्ग मीटर के मूल्य के अनुसार और केवल ऐसे ही निर्यातकों का आबंटन किया जायेगा जो कोटे की सीमाओं के भीतर आ सके। इस कार्य के लिए, विभिन्न प्रकार के तैयार माल का परिवर्तन संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सूती वस्त्र करार की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रति वर्ग मीटर की शर्तों के अनुसार किया जायेगा। जिन निर्यातकों को हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास द्वारा या सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा—जैसा भी मामला हो आबंटन किये जाते हैं तो उन्हें जहां आवश्यक हो, बैंक गारंटी सहित निर्यात के लिए उपयुक्त वचन-पत्र भी देने पड़ेंगे।

3. वे पंजीकृत निर्यातक और नये आगन्तुक जिन्होंने अक्तूबर, 1972—जनवरी, 1973 के दौरान निर्यात के लिए सूती हथकरघा के बने बनाये पहनावों और अन्य सूती हथकरघा तैयार माल के लिए संविदाएं प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आबंटन के लिए वे आवश्यक प्रलेखों के साथ क्रमशः सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास को आवेदन करें। उनके पास आवेदन-पत्र अधिक से अधिक 15 नवम्बर, 1972 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।

एम० एम० सेन,<br>
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972